प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2019 को आयोजित ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना, राज्य योजनांतर्गत कार्यान्वित जलापूर्ति योजना एवं नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.08.2019 को ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना, राज्य योजनांतर्गत कार्यान्वित जलापूर्ति योजना एवं नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता, बुडको, मुख्य महाप्रबंधक बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको, ए०डी०बी० के CSQC, टीम लीडर, एस०पी०एम०जी० तथा अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बुडको के अभियंताओं को स्पष्ट किया गया कि AMRUT एवं नमामि गंगे योजना के तहत हाउस कनेक्शन का कार्य अतिमहत्वपूर्ण है। हाउस कनेक्शन का कार्य नहीं होने से योजना की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है, लेकिन अधिकांश योजनाओं में हाउस टू हाउस कनेक्शन का कार्य timeline के आधार पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लक्ष्य की प्राप्ति समयसीमा के अंदर होने में कठिनाई है। संवदकों द्वारा योजना का कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण नहीं किये जाने की परिस्थिति में प्रायः यह देखा जाता है कि कार्य में विलंब के लिए एकरारनामा के अनुसार संवेदकों से LD की कटौती बुडको द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि LD की कटौती हेतु विभाग द्वारा पूर्व में भी बैठकों के क्रम में एवं विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी निदेशित किया जाता रहा है। बुडको के अभियंताओं को पुनः निर्देश दिया गया कि संवेदकों द्वारा योजना का कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो बुडको के कार्यपालक अभियंता/परियोजना निदेशक LD की कटौती सुनिश्चित करें। इसमें यदि कहीं कोताही बरती जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

3. बुडको के अभियंताओं को पुनः यह निर्देश दिया गया कि AMRUT एवं नमामि गंगे योजना के तहत जब तक हाउस टू हाउस कनेक्शन का कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जाता है तब तक उक्त लम्बाई के पाईपलाईन नेटवर्क के कार्य का भुगतान संवेदक को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। इस संबंध में दिशानिर्देश पूर्व में भी विभाग द्वारा बुडको को भेजा जा चुका है। उक्त निर्देश का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता/परियोजना निदेशक/संवदक समान रूप से जिम्मेदार होंगे और उल्लंघन पाये जाने पर विभाग द्वारा संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

4. बुडको के सभी मुख्य अभियंताओं/मुख्य महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे संध्या में प्रतिदिन AMRUT एवं नमामि गंगे योजना के तहत संवेदको द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति यथा पाईपलाईन का विस्तार, हाउस टू हाउस कनेक्शन आदि की समीक्षा/अनुश्रवण करेंगे तथा दैनिक प्रतिवेदन संधारित करेंगे, जिसमें कनेक्शन की संख्या, अद्यतन स्थिति के अतिरिक्त समस्या से संबंधित मुद्दे एवं उसके निराकरण हेतु संक्षिप्त अभ्युक्ति भी अंकित करें और दैनिक प्रतिवेदन संबंधित विभागीय WhatsApp group में भी अपलोड किया जाएगा। निर्धारित मासिक लक्ष्य के विरूद्ध साप्ताहिक लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह संवेदकों को show-cause नोटिस निर्गत किया जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए resources mobilize करने हेतु संवेदकों को संसूचित किया जाएगा और इससे विभाग को भी अवगत कराया जाता रहेगा।

5. बैठक में विभागीय कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में बुडको के अभियंता द्वारा संवेदकों को जो नोटिस निर्गत की जा रही है, उसमें यह अंकित किया जाता है कि विभागीय

प्रधान सचिव के निदेश के आलोक में नोटिस निर्गत की जा रही है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित बुडको के मुख्य अभियंता को बताया गया कि इस तरह का नोटिस निर्गत किया जाना यह परिलक्षित करता है कि बुडको के अभियंता द्वारा अपने स्तर से कार्यों की समीक्षा में पायी गयी स्थिति के अनुसार संवेदकों को नोटिस नहीं दी जा रही है बल्कि मात्र विभाग के निर्देश के आलोक में औपचारिकता पूरी कर दी जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियंताओं द्वारा कार्यों का नियमित अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। **प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि बुडको के सभी मुख्य अभियंता/कार्यपालक अभियंता/परियोजना निदेशकों को निदेशित करें कि योजना के अधीन कार्यों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें और योजना को समयसीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।**

6. बुडको के मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि AMRUT एवं नमामि गंगे योजना के तहत बुडको को आवंटित की गयी राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को संसूचित किया जा सके।

7. AMRUT योजनांतर्गत कार्यान्वित मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी। निर्देश दिया गया कि तुरंत सभी मुद्दों का निराकरण करते हुए कार्य में तेजी लायी जाय।

8. नमामि गंगे परियोजना के तहत सिवरेज योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्थल पर जमीन की उपलब्धता/जमीन संबंधी समस्या तथा सिवरेज नेटवर्क के तहत overall कितने household connection किये जाने हैं और उसके विरूद्ध कितना connection हो चुका है और प्रतिदिन कितना connection हो रहा है, के संबंध में बुडको के मुख्य अभियंता श्री ओम प्रकाश सिंह से पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। इससे यह परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा योजना के तहत किये जा रहे कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण/अनुश्रवण नहीं किया जाता है। यदि उनके द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाता तो उक्त के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गयी होती, जो इनके कार्य में अभिरूचि की कमी को प्रदर्शित करता है। इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी। इन्हें निर्देश दिया गया कि योजना की प्रगति की स्थिति से up to date रहें और सिवरेज परियोजना के कार्यान्वयन में यदि कहीं जमीन के उपलब्धता की समस्या है तो इससे विभाग को आज ही अवगत कराएं।

9. नमामि गंगे परियोजना के तहत सिवरेज नेटवर्क की उपयोगिता के मद्देनजर household connection पर बल देते हुए निर्देश दिया गया कि नेटवर्क के catchment area को जोन में बाँटते हुए, जिस जोन में पाईपलाईन नेटवर्क का कार्य पूर्ण हो गया है, उसे household connection कराकर आच्छादित किया जाय। इस हेतु house connection के लक्ष्य के सापेक्ष श्रम बल एवं गैंग बल का आँकलन कर, आनुपातिक गैंग नियोजित कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। **उक्त निर्देश का अनुपालन बुडको के संबंधित मुख्य अभियंता/परियोजना निदेशक सुनिश्चित करेंगे।**

10. राज्य योजना के तहत कार्यान्वित जलापूर्ति योजना के प्रगति की अद्यतन स्थिति एवं लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के संबंध में बुडको के मुख्य महाप्रबंधक से पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया। उनके द्वारा मात्र यही कहा जा रहा था कि कई योजनाओं में स्थल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इस पर उन्हें बताया गया कि राज्य योजना के तहत कार्यान्वित जलापूर्ति योजना के किसी भी योजना में स्थल की उपलब्धता में कोई समस्या पूर्व से नहीं है। हर घर नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय योजना में शामिल है और योजना का कार्य समयसीमा के अंदर हर हाल में पूर्ण करते हुए जनोपयोगी बनाना है, लेकिन फिर भी

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा योजना के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी। इन्हें कड़ा निर्देश दिया गया कि योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें और कार्य को समयसीमा के अंदर हर हाल में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें।

11. मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि माननीय NGT के निदेश के आलोक में polluted stretch पर अवस्थित शहरों के NEERI द्वारा तैयार किये जा रहे DPR को NEERI से प्राप्त कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों के लिए NEERI सहित अन्य consultant द्वारा तैयार किये जा रहे I&D एवं STP योजनाओं का DPR भी शीघ्र विभाग को भेजा जाय।

12. मुख्य अभियंता, बुडको को यह भी निर्देश दिया गया कि नमामि गंगे परियोजनांतर्गत कार्यान्वित किये जा रहे जमालपुर, बक्सर एवं मुजफ्फरपुर की सिवरेज योजनाओं पर TPA के आपत्तियों का अविलंब compliance किया जाय। बचे हुए नालों में screening का कार्य अविलंब पूर्ण किया जाय।

13. बैठक में विशेष सचिव श्री संजय कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मोतीझील, मोतिहारी के जीर्णोद्धार योजना के कार्य में अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पायी है और बुडको द्वारा संवेदक से कार्य में लापरवाही के लिए कोई LD की राशि की कटौती भी नहीं की गयी है तथा इस योजना के तहत आवंटित राशि के विरूद्ध बुडको द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग को उपलब्ध करा दिया गया था, जो योजना का कार्यान्वयन हुए बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा गया है। बुडको द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ही विभाग द्वारा भी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय को UC भेज दिया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा बुडको से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है, जिसका जबाव अभी तक बुडको से प्राप्त नहीं हुआ है। **निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण पर पुनः स्मार पत्र भेजा जाय।**

14. मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है यथा बस स्टैण्ड, स्टार्म ड्रेनेज, जलापूर्ति योजना आदि, उसकी विवरणी एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि इन योजनाओं का उद्घाटन/लोकार्पण करायी जा सके।

15. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि ए०डी०बी० संपोषित गया जलापूर्ति योजना फेज–1 में कार्य पूर्ण करने हेतु मार्च, 2020 का समय निर्धारित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि योजना मे पिछले 2–3 दिनों से प्रतिदिन औसतन 50 हाउस कनेक्शन हो रहे हैं। इस योजना के तहत कुल हाउस कनेक्शन का लक्ष्य 75000 है और इस लक्ष्य की निर्धारित समयसीमा के अंदर प्राप्ति हेतु प्रतिदिन औसतन 350 कनेक्शन किया जाना होगा। बैठक में उपस्थित ए०डी०बी० के CSQC से इस संबंध में पूछा गया कि पाईपलाईन विस्तार के साथ प्रतिदिन 350 कनेक्शन किये जाने के लिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है तो उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कनेक्शन के लिए 06 गैंग लगाये गये हैं और अब से हाउस कनेक्शन के गैंग की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। इन्हें यह बताया गया कि 12 गैंग से भी कनेक्शन संबंधी कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण नहीं हो पाएगी तो इनके द्वारा कहा गया कि कुछ दिन बाद गैंग की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी जाएगी। अभी तक समयसीमा के अंदर हाउस कनेक्शन का कार्य समयसीमा के अंदर नहीं किये जाने के फलस्वरूप संवेदक से की गयी LD की कटौती के संबंध में पूछने पर इन्होंने बताया कि अभी तक कोई LD की कटौती नहीं की गयी है। **मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि ए०डी०बी० के CSQC से हाउस कनेक्शन का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त किया जाय और योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।**

16. बैठक के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि बुडको में Contract Management का कार्य नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में बुडको द्वारा विभाग की कई बड़ी–बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बुडको को पूर्व से निदेशित किया जाता रहा है कि Contract Management Software तैयार करे, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं किया जा सका है। **प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु** Contract Management Software **विकसित करें और इसका नियमित अनुश्रवण करें।**

17. अंत में पुनः बुडको के सभी मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया कि AMRUT, नमामि गंगे एवं राज्य योजना के तहत कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं एवं सिवरेज की योजनाओं में हाउस–टू–ह्युउस कनेक्शन कार्य में अपेक्षित प्रगति लायी जाय और इस हेतु प्रतिदिन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। जिन संवेदकों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार LD की राशि की कटौती की जाय। पुनः स्पष्ट किया गया कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6/8/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–.....4158.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक ....6/8/19....

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बुडको/श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–3/Team Leader, SPMG/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2019

प्रधान सचिव